झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–164 वर्ष 2017

सिस्टर मैरी तिर्की, श्री लोरेन्स तिर्की की बेटी, साकिन ग्राम–बड़ा घाघरा, डाकघर–डोरंडा, थाना–डोरंडा, जिला–रांची (झारखण्ड) .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य।

2. सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखंड)।

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखंड)।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, डाकघर एवं थाना–रांची, जिला–रांची।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– मेसर्स अमित कु0 दास एवं पूजा कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– एस0सी0–V के जे0सी0

04/07.02.2017 तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्त्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट आवेदन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्त्ता को वर्ष 1986 में शांति रानी मिडिल स्कूल, बड़ा घाघरा, डोरंडा, रांची– II में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था और सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2010 को सेवानिवृत हुए थे। जिस स्कूल से याचिकाकर्त्ता सेवानिवृत हुई है, वह सरकारी सहायत प्राप्त अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत लाभों के भुगतान की सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और निधित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण कम्पास में निहित हैं और डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506, 509 और 512 और वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्त्ता एक सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय का सेवानिवृत कर्मचारी है और यह मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है, इस न्यायालय के द्वारा (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट की गई मरियत तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य में पारित किए गए निर्णय के मद्देनजर और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606.20607/2014 में दिनांक 15.12.2014 को पारित निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है। याचिकाकर्त्ता ने

उत्तरदाताओं को अनुलग्नक–5 और 5/ए के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त अभ्यावेदन पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले एस0सी0–V के विद्वान जे0सी0 ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को देय अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

6. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका को, याचिकाकर्त्ता के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में याचिकाकर्त्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णल लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश देते हुए, निस्तारण किया जाता है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री प्रमाथ पटनायक, न्याया0)